

पत्रांक—BMSIC/80015/03-2017/5959

दिनांक—17/10/2023

प्रेषक,

उप महाप्रबन्धक (मुख्यालय)
BMSICL, Patna.

सेवा में,

विकास कुमार गुप्ता,
ग्राम—छोटा बरियारपुर,
जिला पूर्वी चम्पारण (मोतीहारी)
पिन:—845402 बिहार

विषय— स्वास्थ्य उपकेन्द्र, पारसी, पिपरा, धुमनगर, रोआरी, सोनासट्टी एवं धमिनाहा, प्रखंड नरकटियागंज, जिला—पश्चिम चम्पारण का भवन निर्माण कार्य के एकरारनामा को विखंडित करने के संबंध में।

प्रसंग:— इस कार्यालय का पत्रांक:—1444 दिनांक:—28.07.2017, पत्रांक:—2248 दिनांक:—20.08.2017, पत्रांक:—3766 दिनांक:—28.12.2017, पत्रांक:—5012 दिनांक:—21.03.2018, पत्रांक:—2431 दिनांक:—31.07.2019, पत्रांक:—2999 दिनांक:—30.08.2019, पत्रांक:—5638 दिनांक:—19.12.2019 एवं पत्रांक:—10022 दिनांक:—17.03.2017

महाशय,

उपरोक्त विषय एवं प्रासंगिक पत्रों के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि विषयांकित परियोजना का कार्यादेश दिनांक:—05.05.2017 को निर्गत किया गया है।

1. विदित है कि विषयांकित परियोजना के कार्य पूर्ण करने की तिथि 04.01.2018 निर्धारित था परन्तु लगभग 60 माह समाप्त हो जाने के उपरांत भी भवन निर्माण कार्य पूर्ण नहीं किया गया। जिसके संबंध में संबंधित उप महाप्रबंधक(परि0), तिरहुत-2 के द्वारा दिनांक:—14.09.2022 को पत्र समर्पित किया गया, जिसमें बताया गया कि निर्माण कार्य प्रारंभ करने हेतु आपसे दिनांक:—27.06.2022 को स्पष्टीकरण पूछा गया। आपके द्वारा पूछे गये स्पष्टीकरण के प्रतिउत्तर में बताया गया कि सभी भवनों के निर्माण कार्य 03 माह के अन्दर पूर्ण कर लिया जाएगा। परन्तु आपके द्वारा आज तक कार्य पूर्ण नहीं किया गया। उप महाप्रबंधक(परि0), तिरहुत-2 से प्राप्त पत्र के आलोक में निगम के पत्रांक:—BMSIC/80015/03-2017/9151 दिनांक:—24.02.2021 के माध्यम से कार्य पूर्ण करने तक डिबार किया जा चुका है, परन्तु आपके द्वारा अधुरे कार्य को पूर्ण करने की दिशा में अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई।

2. विदित है कि कार्य पूर्ण नहीं करने के फलस्वरूप संबंधित उप महाप्रबंधक(परि0) के द्वारा कालीकृत करने की अनुशंसा की गई। उक्त अनुशंसा के आलोक में मुख्य महाप्रबंधक(परि0) के द्वारा BMSIC/80015/03-2017/10022 दिनांक:—17.03.2022 के माध्यम से स्पष्टीकरण पूछा गया, जिसमें उल्लेखित है कि 03 दिनों के अन्दर स्पष्टीकरण निगम को देना सुनिश्चित करें अन्यथा एकरारनामा में वर्णित शर्तों के अनुसार इस कार्य को विखंडित करते हुये आपके Risk & Cost पर शेष कार्य कराने के साथ, बिहार ठेकेदारी निबंधन नियामवली 2007 के कंडिका-11(क) (ii) के अनुसार आपको कालीकृत करने की कार्रवाई की जाएगी। परन्तु खेद के साथ कहना है कि आपके द्वारा कोई प्रतिउत्तर समर्पित नहीं किया गया।

3. निगम के द्वारा पूछे गये उपरोक्त स्पष्टीकरण का प्रतिउत्तर समर्पित नहीं करने तथा विषयांकित परियोजना के निर्माण कार्य हेतु प्रदत्त अवधि विस्तार दिनांक-30.04.2021 को बीत जाने के बाद भी कार्य पूर्ण नहीं किया गया साथ ही अनावश्यक रूप से सभी कार्य को बन्द कर देने के फलस्वरूप निगम के द्वारा



पत्रांक:-BMSIC/80015/03-2017/9151 दिनांक 24.02.2021 से एकरारनामा के कंडिका-3.3 एवं 4.8 के अनुसार कार्य पूर्ण करने तक आपको किसी भी निविदा में भाग लेने से वंचित (Debar) किया गया।

4. उक्त विषयांकित परियोजना को 08 माह अर्थात् दिनांक:-04.01.2018 तक पूर्ण करना था, परन्तु प्रदत्त अवधि विस्तार की तिथि से लगभग 30 माह की अधिक बीत जाने के फलस्वरूप भी आपके द्वारा कार्य पूर्ण नहीं कराया गया तथा कार्य बन्द कर दिया गया, जो घोर लापरवाही एवं अनियमितता का द्योतक है।


5. आपके फर्म को डिबार किये जाने के उपरांत भी आपके द्वारा कार्य पूर्ण करने में कोई रुचि नहीं दिखाई देने के फलस्वरूप निगम के पत्रांक:-BMSIC/80015/03-2017/10022 दिनांक:-17.03.2022 के माध्यम से स्पष्टीकरण पूछा गया एवं 03 दिनों के अन्दर स्पष्टीकरण समर्पित करने का निदेश दिया गया, परन्तु प्रतिउत्तर समर्पित नहीं किया गया।

6. कार्य प्रारंभ करने हेतु पूछे गये स्पष्टीकरण का प्रतिउत्तर समर्पित नहीं करने के फलस्वरूप क्षेत्रीय उप महाप्रबंधक (परि0) तिरहुत-2 के द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक:- BMSIC/Tirhut-2/2022/028 दिनांक:-14.09.2022 के माध्यम से संवेदक को कालीकृत कर सुरक्षित जमा राशि जब्त करते हुए साथ ही साथ संपादित एकरारनामा को विखंडित कर संवेदक के Risk & Cost पर पुनर्निविदा करने की अनुशंसा की गई।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों की समीक्षा एवं क्षेत्रीय उप महाप्रबंधक(परि0) तिरहुत-2 से प्राप्त मंतव्य एवं एकरारनामा के Clause of Contract के कंडिका-3(iii), (iv), (v) (vii) (a) तथा 14(iii) 14 (x) (b) के आलोक में आपके फर्म (विकास कुमार गुप्ता ग्राम-छोटा बरियारपुर, जिला पूर्वी चम्पारण,मोतीहारी,पिन:-845402 बिहार) के Agreement संख्या:-HSC/SBD/39/2017-2018 दिनांक:-18.03.2017 को तत्काल प्रभाव से आपके Risk & Cost पर विखंडित किया जाता है। साथ ही एकरारनामा के Clause of Contract के कंडिका-3(vii) (a) के तहत सभी सुरक्षित जमा राशि एवं Performance Security को राज्यसात (Forfeited) किया जाता है। विदित है कि पूर्व में इस कार्यालय के पत्रांक:-BMSIC/80070/03-2017/5896 दिनांक:-12.10.2023 के द्वारा एक अन्य परियोजना में आपको पत्र निर्गत की तिथि से 03 (तीन) वर्षों के लिए कालीकृत किया जा चुका है।

इस पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वसभाजन



उप महाप्रबंधक (मुख्यालय)

दिनांक: 17/10/2023

ज्ञापांक:- BMSIC/80015/03-2017/5959

प्रतिलिपि:-मुख्य महाप्रबंधक (परियोजना)/महाप्रबंधक(परि0)/महाप्रबंधक(वित्त)/ उप महाप्रबंधक (मु0), सभी क्षेत्रीय उप महाप्रबंधक(परि0), BMSICL, पटना/पर्यवेक्षण परामर्शी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।



उप महाप्रबंधक (मुख्यालय)

दिनांक: 17/10/2023

ज्ञापांक:- BMSIC/80015/03-2017/5959

प्रतिलिपि:-सिविल सर्जन, पश्चिम चम्पारण मोतीहारी को सूचनार्थ समर्पित।



उप महाप्रबंधक (मुख्यालय)

ज्ञापांक:- BMSIC/80015/03-2017/

दिनांक:...../...../2023

प्रतिलिपि:-जिला पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण मोतीहारी को सादर सूचनार्थ समर्पित।

M. S. K.

M. S. K.
12/10/23

उप महाप्रबन्धक (मुख्यालय)

दिनांक:...../...../2023

ज्ञापांक:- BMSIC/80015/03-2017/

प्रतिलिपि:-अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/ प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/ प्रधान सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/ प्रधान सचिव, उर्जा विभाग, बिहार, पटना/ प्रबंध निदेशक, बिहार पुल निर्माण निगम लि0, पटना/ प्रबंध निदेशक, भवन निर्माण निगम लि0, पटना/प्रबंध निदेशक, शैक्षणिक आधारभूत संरचना निगम लि0, पटना/ प्रबंध निदेशक, आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, प्रथम तल, उद्योग भवन, पटना/ प्रबंध निदेशक, बिहार औद्योगिक विकास प्राधिकार, प्रथम तल, उद्योग भवन, पटना/ प्रबंध निदेशक, बिहार शहरी आधारभूत संरचना निगम लि0, पटना/ प्रबंध निदेशक, बिहार पर्यटन विकास निगम लि0, पटना/ प्रबंध निदेशक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम लि0, पटना/ प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य आवास बोर्ड, पटना एवं सभी कार्य विभाग को सादर सूचनार्थ समर्पित।

M. S. K.

M. S. K.
12/10/23

उप महाप्रबन्धक (मुख्यालय)

दिनांक:...../...../2023

ज्ञापांक:- BMSIC/80015/03-2017/5959

प्रतिलिपि:-प्रबंध निदेशक, BMSICL, पटना के आशुलिपिक को प्रबंध निदेशक महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

M. S. K.

M. S. K.
12/10/23

उप महाप्रबन्धक (मुख्यालय)

दिनांक:...../...../2023

ज्ञापांक:- BMSIC/80015/03-2017/5959

प्रतिलिपि:-श्री मोहित कुमार, प्रबंधक(सिस्टम), BMSICL, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि उपरोक्त के आलोक में पत्र को BMSICL के वेबसाइट पर संवेदक के कालीकृत लिस्ट में प्रकाशित किया जाए।

M. S. K.

M. S. K.
12/10/23

उप महाप्रबन्धक (मुख्यालय)